

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाकव्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्त्रापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई-5-327-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री अशोक दास, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-338-2010-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा दिनांक 16 से 20 अगस्त 2010 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपयोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई-5-556-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग जैन, आयएएस, सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21 से 29 जुलाई 2010 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-779-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रामकिंकर गुप्ता, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2010 द्वारा दिनांक 24 जून 2010 से 24 जुलाई 2010 तक इकतीस दिन का स्वीकृत अद्वैतनिक अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है। अब उन्हें दिनांक 24 से 30 जून 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रामकिंकर गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयन बोर्ड-सह-संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री

को दिनांक 29 जुलाई से 4 अगस्त 2010 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयन बोर्ड-सह-संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्हा. एस. तोमर, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई-1-3-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	मुख्य सचिव खाना 3 में अंकित पद
	तथा वर्तमान में पदस्थापना	असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पदस्थापना पद जिसके समकक्ष पदस्थ किया गया है।

(1) (2) (3) (4)

1 श्री आर. परशुराम (1978)	वि.क.अ.-सह-विकास अध्यक्ष
विकास आयुक्त एवं पदेन आयुक्त एवं पदेन अपर	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण शासन, पंचायत एवं ग्रामीण	विकास तथा सामाजिक विकास तथा सामाजिक
विकास आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।	न्याय विभाग।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. एफ. 2-12-2008-43-बीस सूत्र—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2010 द्वारा राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकाल में दिनांक 31 अगस्त 2010 तक वृद्धि की गई थी।

उपरोक्त अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा उक्त समिति के कार्यकाल में दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक की और वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कंचन जैन, प्रमुख सचिव.

**योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. एफ- 10-19-2008-तेर्ईस.—योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 10-19-08-तेर्ईस, दिनांक 23 मई 2009 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 जुलाई 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक (ब) नगरीय इकाईयां में भाग (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित भाग तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	इकाइयां	पदाधिकारी	पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)

“(3) नगर निगम नगर निगम विवाह रजिस्ट्रार”
का स्वास्थ्य
अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. एफ - 10-19-2008-तेर्ईस.—योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 3 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 2010

No. F-10-19-08-XXIII.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 5 of the Madhya Pradesh Compulsory Registration of Marriages Rules, 2008, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No.F-10-19-08-XXIII dated 23rd May 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 15th July, 2009 namely—

AMENDMENT

In the said notification in the table, in serial number (B) of Urban Units, for part (3) and entries relating thereto the following part and entries relating thereto shall be substituted, namely—

S.No.	Units	Designation	
(1)	(2)	(3)	(4)
	“ (3) Municipal Corporation	Health Officer of Municipal Corporation	Registrar of Marriages”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

G. P. KABEERPANTHI, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

फा.क्र. 1(सी)-23-08-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन), भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त, श्री एल. एन. सोनी, अधिवक्ता इन्दौर, जिन्हें धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अधियोजक नियुक्त किया गया है, उन्हें उनकी तथा विभाग की सहमति से दिनांक 9 अक्टूबर 2010 तक उक्त पद पर निरन्तर किया जाता है।

आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 में निर्धारित फीस की शर्त को उनके अतिरिक्त महाधिवक्ता का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-166-1994-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश द्वारा (1) श्री राजेन्द्र जे. पारिख, अधिवक्ता,

निवासी 2डी सेक्टर, पिपलानी, भोपाल. (2) श्रीमती उषा अध्वर्यु, अधिवक्ता, निवासी एम. एक्स. 239/ई-7, अरेरा कालोनी, भोपाल, (3) श्री आरिफ अकील, अधिवक्ता, निवासी 54, लक्ष्मी टाकीज, भोपाल को जिला मुख्यालय, भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे परन्तु उनके द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं कराये जाने एवं निर्धारित शुल्क संदाय न किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 14-(ख) के प्रावधानों के पालन में उपरोक्त अंकित अधिवक्ताओं के नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से हटाये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

फा.क्र. 17(ई)-176-2010-इक्कीस-ब(दो).—नोटरी नियम, 1956 के नियम 7 क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन नोटरियों के पद हेतु अध्यर्थियों के साक्षात्कार के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनने वाले एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन करता है, अर्थात् :—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और अध्यक्ष विधायी कार्य विभाग, जो न्यायिक शाखा-2 का प्रभारी हो।
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, जो न्यायिक शाखा-2 का प्रभारी हो।
3. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, जो न्यायिक शाखा-1 का प्रभारी हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक 17(ई)-176-2010-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal, the 4th September 2010

F-No. 17-(E)-176-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 7A of the Notaries Rules, 1956, the State Government, hereby, constitutes an Interview Board comprising the following officers, for the purpose of interview of candidates for the posts of Notaries under sub-rule (1) of the said rule, namely:—

1. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department who is incharge of Judicial Branch-2. Chairman
2. Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department who is incharge of Judicial Branch-2. Member
3. Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department who is incharge of Judicial Branch-1. Member

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh.
A. J. KHAN, Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1(ए)147-90-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 13 अगस्त 2010 तक दस दिवस का अर्जित अवकाश का लाभ दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उठाने की कार्योंतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में उन्हें वेतन एवं भत्तों का लाभ उसी प्रकार प्राप्त होगा जैसा कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे।
3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार शाही, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई)49-2009-इक्कीस-ब(एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, उक्त कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए करता है:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	कुटुम्ब न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल	कट्टोनमेंट क्षेत्र का, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका शहडोल की सीमाएं.	कट्टोनमेंट क्षेत्र को यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका टीकमगढ़ की सीमाएं.

F-No. 17 (E) 49-2009-XXI-B(I).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) and in supersession of this departments notification of even number dated 9th November 2009, the State Government after consultation with the High Court, hereby establish the Family Court specified in column (2) of the Schedule below at the headquarter specified in the corresponding entry in column (3) for the areas specified in column (4):—

SCHEDULE

S. No.	Name of Family Court	Head Quarters	Area to which the Jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Family Court Shahdol	Shahdol	Limits off municipality Shahdol including contonment area, if any.

फा. क्र. 17(ई)49-2009-इक्कीस-ब(एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, उक्त कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए करता है:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	कुटुम्ब न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़	कट्टोनमेंट क्षेत्र को यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका टीकमगढ़ की सीमाएं.	कट्टोनमेंट क्षेत्र को यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका टीकमगढ़ की सीमाएं.

F-No. 17 (E) 49-17-2009-XXI-B(I).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) and in supersession of this departments notification of even number dated 20th November 2009, the State Government after consultation with the High Court, hereby establish the Family Court specified in column (2) of the Schedule below at the headquarter specified in the corresponding entry in column (3) for the areas specified in column (4):—

SCHEDULE

S. No.	Name of Family Court	Head Quarters	Area to which the Jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Family Court Tikamgarh	Tikamgarh	Limits of municipality Tikamgarh including contonment area, if any.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 6959-स्था.-10.—मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को उज्जैन नगर सीमा के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

एम. गीता, कलेक्टर

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-I
'Aayakar Bhawan' Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.) 462011

Bhopal, the 1st September 2010

ORDER No. 1-2010-11.—In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes *vide* its Notification No. S. O. 732(E), dated 31st July, 2001 (Notification No. 228 in CBDT's F. No. 187/5/2001-ITA-I/405) under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) [hereinafter referred to as Income-tax Act] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl. Commissioner of Income-tax, Range-I, Bhopal, hereby directs that, the Asstt. Commissioner of Income-tax 1 (2), Bhopal **shall** and the Dy. Asstt. Commissioner of Income-tax 1 (1), Bhopal **shall not** exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases:

S. No.	Name of the assessee	PAN	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	A. K. Dutta (HUF)	AAEHA 0083K	Ind
2	Aalok Khanna	AGHPK 0874F	Ind
3	Abha Jaju	ABCPJ 3641D	Ind
4	Abhishek Jain	ADEPJ 7380H	Ind
5	Ajay Kataria	ACMPK 3186D	Ind
6	Ajay Kumar Jain	ACZPJ1051B	Ind
7	Ajay Narang	ABFPN8590G	Ind
8	Ajay Singh	AMUPS1546D	Ind
9	Ajit Kumar Chhabra	ADCPC1559K	Ind
10	Alok Sharma	ACPPS 7802K	Ind
11	Anand Bisariay	AAVPB1469R	Ind
12	Anand Kumar Gupta	ABAPG6425G	Ind
13	Anil Agrawal Prop. Abhushan Jewellers	AARPA8469Q	Ind
14	Anil Kshetrapal	ABGPK5988E	Ind
15	Anish Gupta	ABDPG0120D	Ind
16	Archana Johri	AAYPJ8623J	Ind
17	Arif Hasan	AARPH9078G	Ind
18	Arundhati Tiwari	AAMPT0449C	Ind
19	Asha Abbott	AGVPA6347H	Ind
20	Ashok Kumar Himthani	AAIPH2469N	Ind
21	Ashok Mendiratta	ABKPM1167H	Ind
22	Ashutosh Malviya	ACUPM9900H	Ind
23	Atulesh Chandra Sharma	ANHPS6399C	Ind

(1)	(2)	(3)	(4)
24	Avinash Kumar Jain	ABEPJ8137C	Ind
25	Avneesh Singh	AOGPS8338P	Ind
26	Babita Lila	AALPL2708D	Ind
27	Basant Kumar Jain	ADDPJ3009L	Ind
28	Beni Shankar Sharma		Ind
29	Bhagwan Das Agrawal	ABBPA1669H	Ind
30	Bhagwanji Ramani		Ind
31	Bhupendra Gaur	ABEPG5379B	Ind
32	Bhupendra Gupta	AEDPG0028F	Ind
33	Bindu Uberoi	AABPU4970E	Ind
34	Brij Bhushan Johari	AASPJ8797K	Ind
35	Chandra Shekhar Bansal	AAWPB4705B	Ind
36	Chandrabhan Singh Choudhari Ex-Minister of Government of Madhya Pradesh.	AZOPS3300G	Ind
37	Chintaman Vasudeo Kand	AGWPK8125E	Ind
38	Chuan Choong Yau	ABUPY3162C	Ind
39	Deepak Babbar	AEWPB9854K	Ind
40	Deepak Kumar Kapoor	ABXPK7657F	Ind
41	Devendra Sadho	AELPS9942Q	Ind
42	Dharmendra Tiwari	ABYPT2507Q	Ind
43	Dhruva Dhir	ACXPD1113C	Ind
44	Dileep Kumar Gupta	AIGPG6134K	Ind
45	Dilip Kumar Palker	ABKPP9737G	Ind
46	Dilip Mehra	ABJPM5729J	Ind
47	Dinesh Rai	AHKPR8449M	Ind
48	Disha Avinash Sharma	AOZPS7414R	Ind
49	Ghanshyam Das Maheshwari	ADKPM1363K	Ind
50	Girish Pastaria	ADMPP2596H	Ind
51	Gopal Das Jauhari	AANPJ6140B	Ind
52	Gopal Shridhar Palnitkar	ABCPP6302K	Ind
53	Gurdeep Singh	ANFPS 2522P	Ind
54	Agrawal Builders	AAEFA8222A	Firm
55	Agrawal Construction Co.	AAEFA8225H	Firm
56	Amit Enterprises	AAFFA2074F	Firm
57	Amrit Lal Jain Contractor	AAJFA6980C	Firm
58	Avinash Chalana And Company	AALFA4929P	Firm
59	Balaji International	ABHFS0113Q	Firm
60	Casyon Multi Electronice	AADFC3512G	Firm
61	Clearvision Industries	AABFC9945N	Firm
62	Control Systems	AAAFC6985E	Firm
63	D. K. Construction	AAAFD7121P	Firm
64	Deep And Pan Associates	AAEFD6671Q	Firm
65	Deep Colonizers	AADFD2966P	Firm
66	Deep Mohini	AAEFD2569B	Firm
67	Divya Steels	AAAFD7479E	Firm
68	Draupadi Builders and Developers	AAFFD0349A	Firm
69	Excelsior Industries	AAAFE3356R	Firm
70	Gayatri Builders	AACFG6051D	Firm
71	Girija Coloniser		Firm
72	Gupta Sons	AAEFG8044L	Firm
73	Advantage Overseas Pvt. Ltd.	AAECA8925F	Company

(1)	(2)	(3)	(4)
74	Anant Prefab structures Pvt. Ltd.	AACCA9057C	Company
75	Ashkom Media India Pvt. Ltd.	AAACO4374Q	Company
76	Asnani Builders & Developers Ltd.,	AADCA2234N	Company
77	Avee Compudata Forms Pvt. Ltd.	AADCA1752H	Company
78	Betwa Pulses And Warehousing Pvt. Ltd.	AACCB1136H	Company
79	Bhagat Investment Pvt. Ltd.	AAACB6648L	Company
80	Bharat Oman Refineries Limited	AABCB7084M	Company
81	Bharat Pictures (P)Ltd.	AABCQ5796O	Company
82	Bhawani Housing & Investment Pvt. Ltd.	AABCB5382N	Company
83	Bhopal City Link Limited	AADCB0769K	Company
84	Blu Mountain Mineral Private Limited	AACCB9004C	Company
85	Cash Surgical Pvt. Ltd.	AACCC3172G	Company
86	Centre for Entrepreneurship Development	AAAAC0450D	Company
87	Chhajed Enterprises Pvt. Ltd.	AAACC6655Q	Company
88	Cine Excellency Pvt. Ltd.	AABCC6197J	Company
89	Agrawal Technical Education Society	AATGS6465Q	Society
90	All India Society for Electronic & Computer Technology.	AAAJM0284J	Society
91	Bhahttakar Sahkari Samiti Maryadit, Bhagwada	AAAAB2649B	Society
92	Bhahttakar Sahkari Samiti Maryadit, Rampur	AAAAB2071P	Society
93	Bhopal Campion School Society	AAATB0913F	Society
94	Bhopal Co-Operative Central Bank Ltd.	AAAAB3271B	Society
95	Bhopal Vikas Pradhikaran	AAALB0040K	Society
96	Carmel Convent Education Society	AAATC0631P	Society
97	Chitragupta Shiksha Prasar Samiti	AAATC6909S	Society
98	Chouhan Education Society	AAAATC2551Q	Society
99	Director Indian Institute of Forest Management	AAAAD2199N	Society
100	Environmental Planning and Coordination Organisation	AAATE0920H	Society
101	Essarjee Education Society	AAAAE1606P	Society
102	Infotech Education Society	AAATI1231P	Society
103	Jagran Social Welfare Society	AAAAJ0542P	Society
104	Krishi Upaj Mandi (Timarni)	AAATK8010A	Society
105	Krishi Upaj Mandi Samitee (Khirkiya)	AAATJK8037D	Society
106	M.P. State Sericulture Development & Trading Co-operative Federation Ltd.	AAAAM2273J	Society
107	M.P. Rajya Open School	AAAAM1067A	Society
108	M.P. Rajya Open School	AAAAM1067A	Society
109	M.P. Rural Road Development Authority	AAATM9054A	Society
110	M.P., State Agriculture Marketing Board	AAAJM0765E	Society
111	Madhya Pradesh Bhootpoorv Sanik Kalyan Samiti	AAABM0217D	Society
112	Madhya Pradesh Madhyam	AAAJM0294J	Society
113	Madhya Pradesh Rajya Sahabhoomi Vikas Bank Samiti	AACCM2222K	Society
114	Madhya Pradesh Society for Poverty alleviation initiative	AAAAM3106G	Society
115	Madhya Pradesh Society for Rural Livelihood Promotion	AAAAM6267G	Society
116	Madhya Pradesh State Aids Control Society	AAAAM1910A	Society
117	Madhya Pradesh Vipasyana Samiti	AAATM4945Q	Society
118	MP Rajya Sahakari Bank Maryadit	AAAAMI625N	Society
119	M.P. State Co-Operative Consumer Federation	AAAAM5188N	Society
120	M.P.State Minor Forest Product T And D Limited	AAAAM0307R	Society

This order shall come into force with immediate effect.

ORDER No. 2-2010-11.—In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes *vide*

its Notification No. S. O. 732(E), dated 31st July, 2001 (Notification No. 228 in CBDT's F. No. 187/5/2001-ITA-I/405) under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) [hereinafter referred to as Income-tax Act] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl. Commissioner of Income-tax, Range-I, Bhopal, hereby directs that, the Income-Tax Officer 1(1), Bhopal **Shall** and the Dy./Asstt. Commissioner of Income-tax 1(1), Bhopal **shall not** exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases:—

S. No. (1)	Name of the assessee (2)	PAN (3)	Status (4)
1	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Village Khapariya	AABAS0950M	Society
2	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Charuva	AAAJS2292N	Society
3	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS8599P	Society
4	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS8604F	Society
5	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS8606H	Society
6	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS8639Q	Society
7	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS9204R	Society
8	Sewa Sahakari Samiti Maryadit	AAAAS9253J	Society
9	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Malwa	AABAS7122B	Society
10	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Bajniya	AAAAS9273N	Society
11	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Bhesadeh	AABAS5965N	Society
12	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Biaovra, Itarsi	AAAAS8565M	Society
13	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Dahedi	AABAS7123A	Society
14	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Dhangaon	AABAS6252N	Society
15	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Gadaghat	AAAAS8584Q	Society
16	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Godagaon Kala, Harda	AAAAB1483D	Society
17	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Isharpur	AAAAS8598N	Society
18	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Jasalpur	AAAAS8580L	Society
19	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kartana	AAAAS9269A	Society
20	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kheda Harda	AAAAS9259C	Society
21	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kothra Seoni Malwa	AAAAB1483D	Society
22	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mahua Kheda Khurd	AAAAS8596C	Society
23	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mahukheda	AAAAS8568G	Society
24	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mandla	AABAS6245D	Society
25	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mangrol	AABAS6254L	Society
26	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Nanpa	AAAAS8573M	Society
27	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Palia Pipariya	AAAAS8569H	Society
28	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Patni, Babai	AAAAS8594A	Society
29	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Semri Khurd Itarsi	AAAAS8576Q	Society
30	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Sontalai	AAAAS8563P	Society
31	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Sontaleye	AABAS6248Q	Society
32	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Tajpura	AAAAS9272P	Society
33	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Zhaklay	AABAS7142P	Society
34	Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Richi Tehsil Seoni	AABAS5964P	Society
35	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Village Banapura	AABAS0983Q	Society
36	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Village Choutlaya	AABAS0987L	Society
37	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Village Lokhartalai	AABAS0952K	Society
38	Sewa Sahakari Samiti Ltd., Village Nandanwada	AABAS0984K	Society

This order shall come into force with immediate effect.

ORDER No. 3-2010-11.—In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes *vide* its Notification No. S. O. 732(E), dated 31st July, 2001 (Notification No. 228 in CBDT's F. No. 187/5/2001-ITA-I/405)

under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) [hereinafter referred to as Income-tax Act] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl. Commissioner of Income-tax, Range-I, Bhopal, hereby directs that, Income-tax Officer 1(1), Bhopal shall and the Dy./Asstt. Commissioner of Income-tax 1(2), Bhopal shall not exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases:—

S. No.	Name of the Assessee	PAN	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Alampur	AAAAAA2836R	Society
2	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Bichua	AAAAAA2647N	Society
3	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Charkheda	AAAAAA2898R	Society
4	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Charkheda	AAAAAA2898R	Society
5	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Deepgaon	AAAAA3450D	Society
6	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kalaakher	AAAAA2648D	Society
7	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kalaakher	AAAAAA2648D	Society
8	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Desla	AAAAAA2649C	Society
9	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mohanpur	AAAAAA5193M	Society
10	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Mohanpur	AAAAAA5193M	Society
11	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Rahatgaon	AAAAAA2840H	Society
12	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Sirali	AAAAAA2841G	Society
13	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Tekapar	AAAAAA2638P	Society
14	Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Temagaon	AAAAAA2842F	Society
15	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Bankhedi	AAAAK2299N	Society
16	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Chandon	AAAAK2289C	Society
17	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Dahalwada	AAAAK2300C	Society
18	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Khapakheda	AAAAK2287N	Society
19	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Sandia	AAA AJK2294B	Society
20	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Taronkalan	AAA AK2295A	Society
21	Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Malhanwada	AAA AK2291E	Society

This order shall come into force with immediate effect.

SALIL KHARE
Addl. Commissioner of Income-tax
Range 1, Bhopal.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

आदेश

क्र. 16-1-स्था-2005-2876.—विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2005 द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के लिए निमानुसार अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित (Designate) किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का पदनाम	के रूप में नामांकित
(1)	(2)	(3)
1	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
2	लेखाधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपील प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी इस संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राप्त कर कम्प्यूटर में पंजीबद्ध कराएंगे तथा साप्ताहिक समीक्षा के लिये प्रस्तुत करेंगे।

हस्ता/—

(प्रेम चन्द्र मीना)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 7706-प्र.भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.12अ-82 वर्ष 08-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	सागर	पगारा	8	4.44	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, म. प्र.	पगारा जलाशय के नहर निर्माण के भू-अर्जन बावत्		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर में देखा जा सकता है।

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

प्र.क्र. 8765-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	सागर	टेकापार	7	9.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर,	सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु,		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है।—सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 8766-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खमकुआ	9	2.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है।—सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 8767-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	हीरापुर	5	4.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है।—सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. 8556-भू-अर्जन-36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निमानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा

दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	मुहाल सरकुलर पटवारी ह. नं. 30	0.436 हे./ 1.08 एकड़	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	इमलीढ़ना जलाशय की सिपेज डेन निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 8558-भू-अर्जन-37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निमानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	सावलखेड़ा पटवारी ह. नं. 30	0.46 हे./ 1.14 एकड़	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	इमलीढ़ना जलाशय की सिपेज डेन निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

हरदा, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. 9067-भू-अर्जन-35-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निमानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	रुनझुन पटवारी ह. नं. 32	5.388 हे./ 13.29 एकड़	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	जामन्या जलाशय की माईनर एवं सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. 2099-भू-अर्जन, प्रकरण क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उपधारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	शामगढ़	आगर सालरी	0.73 4.10 योग . . 4.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, मन्दसौर.	धर्मराजेश्वर तालाब से नहर योजना हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 7326-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है। राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे। इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली धारा 4 (2) के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	परासिया	ग्राम-सिरगोरा ब. नं.-566 प. ह. नं.-17 रा. नि. मं. परासिया	0.716 हेक्टर ^{एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)}	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	खजरी, मोठार, छितरी, सिरगोरा, शिवपुरी मार्ग के निर्माण के लिए निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग-छिंदवाड़ा के उपसंभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पबन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10254-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	लोहारिन		4.239	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	करपा जलाशय नहर कार्य हेतु
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	करपा	योग . .	7.859 <u>12.098</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	करपा जलाशय नहर कार्य हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर(म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 10256-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बहपुर		5.159	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	नोनघटी जलाशय नहर कार्य हेतु
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बेलगांव	योग . .	2.745 <u>7.904</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	करपा जलाशय नहर कार्य हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर(म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 10258-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	पोड़ीखुर्द	1.944	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	लखनपुर जलाशय नहर कार्य हेतु
योग . . 1.944					

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर जिला अनूपपुर (म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. रीडर-1-10-क्र. 1237-भू-अर्जन-रीडर-1-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/जिला	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थांदला/ झाबुआ	रोजिया	0.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ	खटावला तालाब के नहर निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं. क्र. 1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, थांदला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. 8144-09-10-प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			ख. नं.	लगभग क्षेत्रफल	कुल अर्जित किया रकमा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	रायसेन	शाहपुर	359/1/2	2.023	1.625	कार्यपालन यंत्री,	भरतीपुर, शाहपुर सिंचाई
		भरतीपुर	358/3/2	0.202	0.084	जल संसाधन,	योजना तालाब व नहर
			350	2.198	0.132	संभाग, रायसेन	निर्माण।
		योग		<u>4.423</u>	<u>1.841</u>		
			359/3	4.047	2.927		
			369/4	1.214	1.214		
			372	2.149	2.149		
		योग		<u>9.433</u>	<u>7.915</u>		
			369/1	0.607	0.607		
			369/2	1.214	1.214		
			369/3/1	0.202	0.202		
		योग		<u>2.023</u>	<u>2.023</u>		
			362	4.047	4.047		
			367	3.845	3.845		
		योग		<u>7.892</u>	<u>7.892</u>		
			361/2	3.975	3.975		
			368/2	2.023	2.023		
			371	2.023	2.023		
		योग		<u>8.021</u>	<u>8.021</u>		
			359/4	4.047	2.010		
			363/1	1.011	1.011		
			363/2	1.011	1.011		
			363/3	0.910	0.910		
			363/4	1.880	1.880		
			363/5	1.011	1.011		
			363/6	0.809	0.809		
			363/7	0.809	0.809		

(1) रायसेन	(2) रायसेन	(3) शाहपुर भरतीपुर	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		363/8	1.347	1.347		कार्यपालन यंत्री,	भरतीपुर, शाहपुर सिंचाई
		363/9	1.011	1.011		जल संसाधन,	योजना तालाब व नहर
		363/10	1.011	1.011		संभाग, रायसेन	निर्माण.
		363/11	1.011	1.011			
		363/12	0.809	0.809			
		363/13/1	0.809	0.809			
		363/13/2	0.809	0.809			
		368/1	1.012	1.012			
		368/3	1.012	1.012			
		369/3/2	1.011	1.011			
		358/4/2	0.485	0.084			
		358/6/1/2	0.405	0.102			
		योग	0.890	0.186			
		310	1.178	0.174			
		317	0.162	0.048			
		योग	1.340	0.222			
		273	1.578	0.036			
		314	0.364	0.102			
		योग	1.942	0.138			
		151	0.736	0.102			
		108	2.039	0.156			
		योग	2.775	0.258			
		111	2.428	0.144			
		141	1.263	0.150			
		योग	3.691	0.294			
		67/1/2	0.210	0.036			
		67/2/1	0.389	0.048			
		योग	0.599	0.084			
		359/1/1	5.000	0.232			
		358/1	1.651	0.148			
		358/5	1.655	0.084			
		353	1.598	0.102			
		352	0.223	0.048			
		349	0.883	0.018			
		274	2.315	0.204			
		299/2	0.405	0.030			
		299/1	0.769	0.144			
		281	0.180	0.036			
		282	0.276	0.048			
		283/1	1.623	0.390			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			283/2	1.570	0.090		
			308	0.952	0.150		
			309/1	0.916	0.168		
			307/1	0.807	0.150		
			150	0.389	0.084		
			149	0.388	0.018		
			109/1	3.201	0.174		
			109/3	1.805	0.132		
			110	3.505	0.204		
			142/1	1.214	0.165		
			142/2	1.214	0.165		
			320	2.141	0.120		
			319/2	0.405	0.090		
			66/2	1.214	0.192		
			66/1/2	1.011	0.060		
			67/1/1	0.599	0.036		
			67/2/2	0.421	0.036		
			68/2	0.809	0.142		
			68/3	0.405	0.024		
			70	1.651	0.102		
			71/1	0.809	0.060		
			72	2.327	0.240		
			77	5.286	0.090		
			374/1/4	0.500	0.200		
			374/2	1.811	0.104		
			374/3	0.809	0.240		
			358/2	0.500	0.090		
		कुल योग.	.	115.573	51.352		

नोट.—भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्र. 1176-भू-अर्जन-2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के

उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 के (2) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	चांदगढ़	0.476	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास	चांदगढ़ तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम चांदगढ़ की निजी भूमि नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने से।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर जिला, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है।

क्र. 1170-भू-अर्जन-2010- प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 के (2) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	बालोन	2.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास	चांदगढ़ तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम बालोन की निजी भूमि नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने से।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर जिला, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्र. 1405-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	चिराखान	0.510	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरे. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के दूब क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1406-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	निमगुल	0.133	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरे. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के दूब क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 1410-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) खरगोन	(2) कसराबद	(3) ससाबरड़	(4) 0.924	(5) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरे. लिमि. मण्डलेश्वर	(6) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अधिकारी (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1411-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) खरगोन	(2) महेश्वर	(3) फतेहपुर	(4) 1.427	(5) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरे. लिमि. मण्डलेश्वर	(6) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अधिकारी (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1412-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) खरगोन	(2) महेश्वर	(3) खेंडी	(4) 0.689	(5) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरे. लिमि. मण्डलेश्वर	(6) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1413-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पिटामली	0.721	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के द्वाव क्षेत्र में आने के कारण

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1), कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 675-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना रामपुर बाघेलान	गोरहया	0.534	अनुविभागीय अधिकारी तह. रामपुर बाघेलान	रामपुर रघुनाथपुर गोरहया पहुंच मार्ग एवं टमस नदी पर पुल निर्माण बावत।	

भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-08-पत्र क्र. 676-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	रघुनाथपुर	0.246	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) संभाग, रीवा	रामपुर रघुनाथपुर गोरहया पहुंच मार्ग के. कि. मी. 22 /2-4 में टमस नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र.-12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	ढडारी	9.532	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील/जिला छतरपुर म. प्र.	ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 8779-भू-अर्जन-33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
- (ख) तहसील—खिरकिया
- (ग) नगर/ग्राम—छुरीखाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.365 हेक्टेयर/8.38 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
96	0.60
103/1	0.18
107/2	0.15
106/1	0.30
106/3	0.60
20	0.55
23/2	0.25
24	0.20
28/4	0.12
103/2	0.23
107/1	0.80
108/1	0.12
106/2	0.45
106/4	0.18
21	0.42
23/3	0.38
25/1	0.30
94	2.50
योग . .	<u>8.33</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जामन्या जलाशय की बांधी मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 545-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—दुधमनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—69.999 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
2/1फ	0.405
2/1ब	1.000
2/1आ	0.619
2/1अ	2.000
2/1त्र	0.394
2/2/ख	0.761
2/1/झ	1.011
13, 14, 15/1, 19,	3.265
20, 21, 22	
15/2, 18	1.210
15/3, 16, 23, 24, 25, 27	4.691

(1)	(2)
17, 28, 29, 30	5.645
26	0.049
योग कृषक भूमि . .	<u>21.050</u>
म.प्र. शासन 13/47, 2/1ख, 2/1 क, 2/49, 11, 12	48.949
योग . .	<u>69.999</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—दीपा बदौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.015 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
124/2	0.930
124/3	0.340
124/4	0.340
योग कृषक भूमि . .	<u>1.610</u>
म.प्र. शासन 125	0.405
कुल योग . .	<u>2.015</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 547-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—हरई गुजरान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—16.234 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

114, 115, 116, 125,
148, 126, 149, 152

14.127

योग कृषक भूमि . .

14.127

म.प्र. शासन 150, 151, 153

2.107

कुल योग . .

16.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 547A-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—हरई कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—48.308 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

3/2

0.753

7/3

6.070

7/4, 7/12

3.228

7/14

0.397

(1)	(2)	(1)	(2)
7/15	0.652	461	1.327
7/22	1.000	462	0.721
7/6	6.070	233	1.515
7/5	2.428		
7/20	0.809		
8/15	0.405		
7/13	2.000		
11	0.154		
योग कृषक भूमि . .	23.966	योग . .	3.596
म.प्र. शासन 1, 2, 7/1, 4, 5, 8/1, 9	24.342		
कुल योग . .	48.308		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
कदुआवान बांध योजना हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त 2010

प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बर्धरू मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—त्योंदा
- (ग) ग्राम—त्योंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.596 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

(1)

457/2

अर्जित किये जाने वाला
अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

0.033

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—बर्धरू मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की दानमढ़ी मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—त्योंदा
- (ग) ग्राम—दानमढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.173 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

(1)

110/1/1क

145/5

110/1/2क

98/1

110/1ख

145/1

145/4

145/3

145/2

अर्जित किये जाने वाला
अनुमानित क्षेत्रफल
(हे. में.)

(2)

0.418

0.243

0.254

0.550

0.854

0.306

0.274

0.137

0.137

योग . . 3.173

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—दानमढ़ी मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।	(1)	(2)	(3)	(4)	
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	349	5	24	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि	
	योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	349	6	29	एवं उस पर स्थित संरचनाएं.	
		349	7	32		
		349	8	45		
		349	9	28		
		349	10	23		
	कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं	352	225	31		
	पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	352	226	84		
	खरगोन, दिनांक 31 अगस्त 2010	352	227	5		
		352	228	305		
	क्र. 1380-भू-अ. 10-प्र.क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	352	230	57		
	अनुसूची	352	231	54		
		352	232	57		
		352	236	17		
		352	233	40		
		352	237	10		
		352	238	11		
	(1) भूमि का वर्णन—आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी/शासकीय कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.	352	242	22		
	(क) जिला—खरगोन	352	243	23		
	(ख) तहसील—बडवाह	352	245	11		
	(ग) ग्राम का नाम—बकावां	352	246	6		
	(घ) लगभग क्षेत्रफल—7250 वर्गमीटर, आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं.	352	248	18		
		352	266	37		
		352	249	14		
		352	249/641	9		
खसरा	भू-खण्ड	डूब का रकबा	विवरण			
नम्बर	क्र.	(वर्गमीटर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)			
5	1	5	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.	352	251	37
				352	252	41
				352	253	33
				352	254	53
				352	255	12
				352	321	40
				352	322	30
5	2	6		352	323	31
9	1	6		352	324	36
9	2	31		352	328	135
349	1	83		352	329	46
349	2	514		352	330	33
349	3	30		352	331	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
352	338	20	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.	352	219	72	एफ.आर.एल./ एम. डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
352	332	31		352	220 पैकी	80	
352	333	30		352	221 पैकी	227	
352	334	67		352	223 पैकी	40	
352	335	34		352	229	55	
352	342	54		352	234	184	
352	336	49		352	235	33	
352	337	44		352	256	78	
352	339	32		352	257	71	
352	340	38		352	258	62	
352	343	41		352	259	76	
352	344	45		352	260 पैकी	60	
352	516	124		352	267	43	
352	517	80		352	268	45	
352	522	30		352	269	45	
352	523	61		352	270 पैकी	45	
352	531	41		352	314 पैकी	5	
352	532	83		352	315 पैकी	21	
352	533	74		352	317	65	
352	534	75		352	318	60	
352	535	64		352	319	61	
352	537	18		352	320	101	
352	538	23		352	325	12	
352	548	97		352	345	81	
352	549	107		352	345/644	80	
	योग . .	<u>3625</u>		352	346 पैकी	73	
349	11	93	एफ.आर.एल./ एम. डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.	352	347 पैकी	5	
349	12	33		352	351	67	
349	13	13		352	352 पैकी	106	
352	208 पैकी	17		352	353 पैकी	27	
352	209 पैकी	57		352	511 पैकी	56	
352	210	40		352	514 पैकी	66	
352	211	44		352	515	110	
352	212	38		352	519	28	
352	213	51		352	520	35	
352	214	12		352	521	31	
352	216	21		352	526 पैकी	9	
352	217	33		352	527	30	
352	218	97					

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
352	528	पैकी	60	एफ.आर.एल./ एम.		01	आश्रम गुजर समाज,
352	529		89	डब्ल्यू.एल. के मध्य		01	मङ्गी गुजर समाज,
352	530		44	झूब प्रभावित आबादी		01	नर्मदा मंदिर,
352	540		28	भूमि एवं उस पर स्थित		01	सार्वजनिक ओटला,
352	541		20	संरचनाएं.		01	बाबा का ओटला,
352	542		45			40	पम्प हाउस,
352	543		68			02	कुआ पक्का,
352	544	पैकी	18			118	पाईप लाईन,
352	550	पैकी	56		11	नि. चरागाह	11 मकान
352	551	पैकी	60		346	नि. चरागाह	51 मकान
526/2	106	पैकी	45				01 गोबर गैस संयंत्र
526/2	107	पैकी	65		348	नि. चरागाह	02 मकान,
526/2	115	पैकी	28		524	ना.का. चरनोई	14 मकान
526/2	116	पैकी	18				
526/2	117	पैकी	22				
526/2	120	पैकी	15				
526/2	121	पैकी	8				
526/2	125		20				
526/2	127		22				
		योग . .	<u>3625</u>				
		महायोग . .	<u>7250</u>				

खसरा नम्बर	संपत्ति का विवरण	विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
10/1	18 मकान पक्का	निजी कृषि भूमि पर	
10/2	18 मकान पक्का	स्थित संरचनाएं.	
350/1	17 मकान पक्का		

खसरा नम्बर	भूमि का मद	संपत्ति का विवरण	विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्मदा नदी	नर्मदा घाट पक्का	शासकीय भूमि पर	
6	ना. का. चरनोई	40 मकान 01 लेटरिना, 01 निलकठेश्वर मंदिर,	स्थित संरचनाएं	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10254-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के
लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित
किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़	(1)	(2)
(ग) ग्राम—लोहारिन, करपा	431	0.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.098 हेक्टर.	432	0.061
खसरा नम्बर	अर्जित रकम	
	(हे. में)	
(1)	(2)	436/2
		437
		0.081
लोहारिन		
87/1ख	0.405	438/1
149	0.285	215/1
150/2	0.202	216
150/1क	0.080	259/3
150/1ख	0.080	260
141/2	0.300	176
140/2	0.560	178
137	0.060	179/1
142/2	0.060	185/1
130/1	0.160	188
129/1	0.240	344/3
144/8/2	0.242	345/1
144/5	0.080	343/2
144/6	0.120	347
107	0.160	420
128/1	0.220	421/1क
127	0.040	430
109/2	0.120	261
109/1	0.325	262
115	0.140	197
118	0.080	198
125	0.280	193
		441
		444
		446
करपा		
75	0.121	122
77	0.081	174
78	0.169	259/1
79	0.202	0.243
80	0.121	योग . . . 12.098
95	0.142	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करपा जलाशय नहर कार्य हेतु.
94	0.081	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
98	0.202	
92/1	0.142	
214/3	0.020	
175/1	0.130	

क्र. 10256-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	(1)	(2)
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—अनूपपुर	57	0.178
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़	321	0.286
(ग) ग्राम—1. बहपुर, लगभग क्षेत्रफल 5.159 हे.	292	0.089
2. बेलगवां लगभग क्षेत्रफल—2.745 हे.	244/1	0.089
(घ) कुल क्षेत्रफल—7.904 हेक्टर.	291	0.012
	293/378	0.020
खसरा नम्बर	अर्जित रकमा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
ग्राम—बहपुर		
323	0.17	52/1 क/2
322	0.242	315
285	0.048	314
392/367/1	0.089	286
284	0.101	310/1
283	0.004	312/1
338	0.008	313
331/3	0.041	113
294/1	0.008	114
161/2	0.060	115
289/377	0.020	111
206	0.012	110
140/1	0.137	279/1
209	0.113	
208/1 क	0.234	ग्राम—बेलगवाँ
160	0.020	327/3
161/1	0.020	328
205	0.032	320/1 ख
203/1	0.064	336
201	0.032	337
200	0.044	335
198/2	0.117	378
117/1	0.089	377/1
118	0.053	343
107 क	0.153	339/1
91/1 ख	0.267	340/2
47/1 क/1	0.266	292

(1)	(2)	(1)	(2)
296/2	0.064	116/1	0.069
293	0.129	117	0.072
289	0.084	124/1	0.030
290	0.149	124/2	0.030
129	0.267	126/2/1	0.044
130/2	0.186	126/2/2	0.129
212	0.153	126/1	0.023
208	0.044	127/3	0.068
210	0.093	292	0.111
209	0.093	309/1	0.324
379	0.008	308/2	0.186
		310/2	0.012
		311	0.060
		327	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नोनघटी एवं करपा जलाशय नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जैतहरी जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 10258-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—अनूपपुर
 (ख) तहसील—अनूपपुर
 (ग) ग्राम—पोड़ीखुर्द
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.944 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54	0.225
55/1	0.042
55/2	0.042
56	0.066
107/2	0.009
108/1	0.090
108/2	0.090
110	0.006
115/3	0.036

योग . . 1.944

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लखनपुर जलाशय नहर कार्य हेतु।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—शिवपुरी
 (ख) तहसील—कोलारस

- (ग) ग्राम—कोटानाका
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.094 हेक्टर.

सर्वे नं.

क्षेत्रफल
 (जो अर्जित किया
 जाना है)

(1)

(2)

350

0.601

349

0.175

348

0.788

346

0.040

325

0.008

332

0.147

345

0.710

333

0.036

334

0.082

335

0.157

336

0.063

344

0.532

343

0.049

443

0.013

438

0.379

435

0.654

434

1.529

432/1

0.758

432/2

0.803

432/3

0.726

432/4

0.356

430

0.165

437

0.323

योग . . 10.094

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 7702-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
 समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित
 भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
 के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक
 एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया
 जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—भौहारा, प. ह. नं.-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—44.52 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

2

2.00

3

1.50

7

0.49

8

1.00

9

0.20

10

0.42

11/1

0.83

61

1.03

11/2

0.83

13

2.91

38

1.23

39

0.42

40

1.30

41

1.12

51

0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एकीकृत¹
 जांच चौकी निर्माण कार्य हेतु.

52

0.85

42

0.42

48

3.00

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय पर देखा जा
 सकता है.

50

0.59

55

2.02

56

2.12

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

57

2.09

58

4.09

(1)	(2)	(1)	(2)
59	3.41	285/868/1	0.10
43	2.50	285/2	0.07
60	0.60	286	0.18
72	4.18	293	0.15
73	3.00	169/1	0.04
74	0.30	169/2	0.04
कुल . .		44.52	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7704-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—घाना, प. ह. न.-37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.77 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
637/1	0.08	216/1	0.13
637/2	0.06	216/2	0.06
264	0.30	215	0.08
263	0.04	243	0.10
270	0.07	241/1	0.15
275	0.10	241/2	0.15
281/2	0.13	240	0.23
274	0.20		
281/1	0.13		
284/1	0.05		
285/868/2	0.09		
283	0.01		
285/1	0.07		
कुल . .		4.77	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—किशनपुर जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8948-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची	(1)	(2)
	108/6	0.40
	111/1	0.16
	111/2	0.01
	112	0.76
	113	0.95
	114	0.08
	120	0.05
	123	0.45
	124	0.82
	125	0.47
	126	0.57
	127	0.70
	128	0.75
खसरा नं.	रकबा	0.07
	(हे. में)	0.05
(1)	(2)	0.83
		133
		0.82
11	0.24	
12	0.43	
13	0.32	
15	0.25	
16	0.04	
18	0.07	
19	0.12	
20	0.14	
21	0.22	
22	0.28	
23	0.15	
24	0.30	
25	0.24	
32	0.08	
33	0.50	
34	0.67	
35	0.59	
36	0.34	
87	0.50	
88	0.92	
89/1	1.50	
89/3	0.60	
90	0.51	
93	0.62	
94	0.88	
95	0.50	
96	0.08	
108/1	0.30	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8949-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—सागर
 (ग) ग्राम—खुरईथावरी, प. ह. नं.-135
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—63.12 हेक्टर।

खसरा नं.	रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
605/1	0.60
605/2	0.59

(1)	(2)	(1)	(2)
605/3	0.29	770	0.81
605/4	0.69	771	0.41
606/1	0.05	772	0.22
606/2	0.05	773	0.81
610/1	0.21	774	0.81
610/2	0.21	775	5.01
611/1	0.29	777	0.90
611/2	0.78	752/1	0.29
611/3	0.28	752/2	0.29
611/4	0.73	752/3	0.29
611/5	0.09	752/4	0.05
640/3	0.20	752/5	0.17
734/1	1.05	752/6	0.12
734/2	1.05	752/7	0.17
734/3	1.05	752/8	0.15
735	0.12	753/1	0.18
737	1.39	753/2	0.26
738	0.40	753/3	0.15
739/1	0.14	753/4	0.30
739/2	0.30	755	0.27
740	1.36	756/1	0.15
741	1.68	778	4.25
749/1	1.65	779	0.83
749/2	1.48	780	0.61
751	0.73	781	0.81
756/2	0.40	782	0.81
756/3	0.06	783	0.81
757	0.33	784	3.93
758/1	1.66	785	0.18
758/2	0.18	787	0.64
758/3	1.66	788	0.88
758/4	0.80	789	0.97
758/5	3.71	790	0.33
758/6	1.32	791	0.17
759	1.25	792	0.06
760	1.14	कुल योग . . 63.12	
761	0.81	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की बांध निर्माण हेतु.	
762	0.81	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
763	0.81		
764	0.61		
765	0.61		
766	0.81		
767	0.41		
768	0.79		
769	0.40		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. B-3581-दो-12-2-/23 भाग-11 इंदौर.—दिनांक 7 सितम्बर 2010 (मंगलवार) को अहिल्या उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के कार्यालय एवं न्यायालयों का समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. B-3586-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस.बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 4 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस.बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस.बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. C-4582-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 16 से 23 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4584-दो-2-73-2000.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4603-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-4605-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-4637-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 27 जुलाई से 2 अगस्त 2010

तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. E-3475-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 30 जुलाई से 7 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-3478-दो-2-36-2008.—श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ओ. एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ओ. एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ. एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3480-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 23 अगस्त 2010 का एक दिन का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 24 से 28 अगस्त 2010 तक

पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ऐच्छिक एवं अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 01 सितम्बर 2010

क्र. 837-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, नवनिर्मित जिले सिंगरौली मुख्यालय बैड़न में पदस्थ श्री माखनलाल झोड़, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बैड़न को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट एवं सचिव, विधिक साक्षरता, सिंगरौली मुख्यालय बैड़न के कार्य हेतु अधिकृत करता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी.के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 333-स्था.सैट-2009.—श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2010 तक कुल चार दिवस का लधूकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं अतः अवकाश अवधि दिनांक 21 जुलाई 2010 से 24 जुलाई 2010 को मूलभूत नियम 26 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी।

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2010

क्र. 826-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी को, स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

				सारणी	
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को		पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	श्री मनोज कुमार तिवारी, (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा.	रीवा	जबलपुर	उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से.	

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी.के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2010

क्र. ई-3502-तीन-6-4-81-पांच.—मध्यप्रदेश डैकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ई-2502, दिनांक 20-7-2010, को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आशिक संशोधन करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा ततस्थानी प्रविष्टियों के कालम नं. 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित राज्य शासन की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81-21-B (एक) दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई।	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री रामानंद चंद, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा.	सेशन खंड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना डबरा, पिछोरा, आंतरी, बिलौआ, गिजोरा, भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनोर।	द्वितीय अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय।

No. E-3502-III-6-4-81-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Ksherra Adhiniyam, 1981 (no. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, by making slight amendments in its previous Notification no. F-2502, dated 20-07-2010 hereby appoints the following Additional Sessions Judge, Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government vide Law and Legislative Affairs Department, Notification No. 1-7-81-21-B (1), dated, 13-7-2010, from the date pf assumption of charges as Presiding Officer by him namely:—

SCHEDE

No.	Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge	Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Shri Ramanand Chand, IIInd Additional Sessions Judge, Dabria.	Police Station Dabria, Pichore, Antri, Billoa, Gizzora, Bhitarwar, Bailgada, Kaariya and Chimore Under Sessions Division Gwalior.	IIInd Additional Sessions Judge, Dabria.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभ्य कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).